न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 02 / 2021

ग्राम पंचायत पीसांगन, पंचायत समिति पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर जरिये सरपंच

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन

.....**रेस्पोन्डेन्ट**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–27.05.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील पीसांगन जिला अजमेर के राजस्व ग्राम पीसांगन स्थित आराजी खसरा संख्या 1433 रकबा 0.70 हैक्टर की जरिये शुद्धि पत्र संख्या 47 दिनांक 05.11.2020 से तहसीलदार पीसांगन द्वारा किस्म गै0मु0 आबादी से गै0मु0 सड़क दर्ज करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश / शुद्धि पत्र दिनांक 05.11.2020 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी अधिकार अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार ग्राम पंचायत पीसांगन की मिल्कियत होकर गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन सड़क अंकित करने का आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार भूमि की किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार तहसीलदार में नीहित नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अतिलंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत को अवैधानिक रूप से भारी नुकसान कारित करने की नीयत से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्ठियों को परिवर्तित करने पर रेकॉर्ड निरीक्षण के दौरान बन्दोबस्त विभाग / राजस्व एजेन्सी द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संधारण योग्य है। भूमि की किस्म उपयोग के अनुसार मात्र बन्दोबस्त विभाग द्वारा परिवर्तित की जा सकती है अर्थात सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार में नीहित नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RBJ (11) 2004 पेज 66 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। विवादित आराजी गैर मुमकिन सडक से काफी दूर स्थित है जिसका भविष्य में भी सडक के रूप में उपयोग संभव नहीं है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश/शुद्धि पत्र संख्या 47 दिनांक 05.11.2020 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। विवादित आराजी की किस्म सेग्रीगेशन जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 1 में लिपिकीय त्रुटि से किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज होने से गत जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 एवं मिसल बन्दोबस्त 2060 से 2080 सन् 2005 से 2024 के अनुसार विवादित आराजी की किस्म राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत आक्षेपीय आदेश/शुद्धि पत्र से गैर मुमकिन सड़क दुरूस्त की गई है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के नियम 166 के तहत लिपिकीय त्रुटियां दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार में नीहित है। प्रकरण लिपिकीय त्रुटि से सम्बन्धित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियम के तहत आक्षेपीय आदेश से दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जो विधि अन्तर्गत है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म मिसल 2060 से 2080 व जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में गैर मुमकिन सड़क दर्ज थी किन्तु सेग्रीगेशन जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 (सम्वत 2075 वर्ष 2018 से स्थाई) के खाता संख्या 1 में लिपिकीय त्रुटि से गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो गई। प्रकरण लिपिकीय त्रुटि से सम्बन्धित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के नियम 166 के तहत आक्षेपीय आदेश से गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन सड़क दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि तहसीलदार पीसांगन के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायसंगत है। वकील अपीलान्ट का यह कथन न्यायोचित एवं स्वीकार योग्य नहीं है कि प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती से सम्बन्धित होने के कारण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संधारण योग्य है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश/शुद्धि पत्र संख्या 47 दिनांक 05.11.2020 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.05.2022 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर